रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2004—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08012020-215186
CG-DL-W-08012020-215186

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 38] नई दिल्ली, दिसम्बर 15—दिसम्बर 21, 2019, शनिवार/अग्रहायण 24—अग्रहायण 30, 1941
No. 38] NEW DELHI, DECEMBER 15— DECEMBER 21, 2019, SATURDAY/AGRAHAYANA 24—AGRAHAYANA 30, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

का.नि.आ. 106.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलैक्ट्रानिकी और यांत्रिकी इंजीनियर कोर मुख्य नक्शानवीस (समूह 'ख' राजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलैक्ट्रानिकी और यांत्रिकी इंजीनियर कोर मुख्य नक्शानवीस (समूह "ख" राजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इलैक्ट्रानिकी और यांत्रिकी इंजीनियर कोर मुख्य नक्शानवीस (समूह "ख" राजपत्रित) में जिसमें तत्पश्चात उक्त नियम कहा गया है, नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"2 पदों की संख्या, वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर – पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. उक्त नियमों में, अनुसूची में-

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 7(रु. 44900-142400) "

(ii) स्तंभ (12) में, प्रविष्टि " 5500- 9000 रु." के वेतनमान" के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स में (रु. 35400-112400 रु.) स्तर 6" रखा जाएगा;

[फा. सं. 89228/आर आर/ मु न नवी/ ई एम ई/सिव (सी-2)/386/आर आर/र. (नि.)/2019]

ए. एन. वेन्कटाचला, अवर सचिव

टिप्पण :- मूल नियम अधिसूचना सं का.नि.आ 68, तारीख 28 मई, 2003 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 12th December, 2019

S. R. O.106.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Corps of Electronics and Mechanical Engineers Chief Draughtsman (Group 'B' Gazetted) Recruitment Rules, 2002 namely:–

1. (1) These rules may be called the Corps of Electronics and Mechanical Engineers, Chief Draughtsman (Group 'B' Gazetted) Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Corps of Electronics and Mechanical Engineering Chief Draughtsman (Group 'B' Gazetted) Recruitment Rules, 2002 hereinafter referred to as the said rules, for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of posts, classification Level in the pay matrix.- Number of the post, classification and Level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules";

3. In said rules, in the Schedule.-

(i) In column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely.-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level-7 (Rs. 44900-142400)";

(ii) In column (12), for the entry "Pay scale 5500-9000", the entry, "Level-6 (Rs-35400-112400) in the Pay Matrix" shall be substituted; .

[F. No. 89228/RR/Chief Dtmn/EME Civ (C-2)/386/RR/D(Appts)2019]

A.N. VENKATACHALA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 4, vide notification number S.R.O. 68, dated the 28th May, 2003.

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

का.नि.आ. 107 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर कोर आरेखन कार्यालय कर्मचारिवृन्द भर्ती नियम, 2002 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर कोर आरेखन कार्यालय कर्मचारिवृन्द भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधुत और यांत्रिक इंजीनियर कोर आरेखन कार्यालय कर्मचारिवृन्द भर्ती नियम, 2002 में -

(i) नियम 1 के उपनियम (1) में, "विधुत और यांत्रिक इंजीनियर कोर", शब्दों के स्थान पर, "इलेक्ट्रोनिक और यांत्रिक इंजीनियर कोर" शब्दो को रखा जाएगा;

(ii) नियम 2 के स्थान निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है";

(iii) अनुसूची में, स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा; अर्थात:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 6 (35400-112400रु.)"

[फा. सं 89228/भ.नि/ड्राँट मेन ग्रेड-I/ ई एम ई सिव (सी-2)/344/आर आर/र (नि) /2019]

ए. एन. वेन्कटाचला, अवर सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग- II, खण्ड-4 में अधिसूचना सं का.नि. आ. 177, तारीख 1 अगस्त, 2002, द्वारा प्रकाशित किए गये थे।

New Delhi, the 12th December, 2019

S.R.O. 107.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Corps of Electrical and Mechanical Engineering Drawing Staff Recruitment Rules, 2002, namely:-

1. (1) These rules may be called the Corps of Electrical and Mechanical Engineering Drawing Staff Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Corps of Electrical and Mechanical Engineering Drawing Staff Recruitment Rules, 2002,-

(i) in rule 1, in sub-rule (1), for the words "the Corps of Electrical and Mechanical Engineering", the words "the Corps of Electronics and Mechanical Engineers" shall be substituted;

(ii) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to 4 of the Schedule annexed to these rules.";

(iii) in the Schedule, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level-6 (Rs. 35400-112400)".

[F. No. 89228/RR/Dtmn Gde-I /EME Civ (C-2)/344/RR/D(A)/2019]

A.N. VENKATACHALA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 4, vide notification number S.R.O. 177, dated the 1st August, 2002.

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2019

का.नि.आ.108.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, इलेक्टॉनिक और यांत्रिक इंजीनियर कोर (औद्योगिक) ट्रेडसमैन मेट भर्ती नियम, 2011 को संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

1. **(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, इलेक्टॉनिक और यांत्रिक इंजीनियर कोर (औद्योगिक) ट्रेडसमैन मेट भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, इलेक्टॉनिक और यांत्रिक इंजीनियर कोर (औद्योगिक) ट्रेडसमैन मेट भर्ती नियम, 2011 के नियम 2, के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

(क) "नियम 2 के स्थान पर, पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"

(ख) अनुसूची के स्तंभ (4) में, स्तंभ, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
4
वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 1 (18000-56900रु.)"

[फा. सं. 89228/आर आर/ट्रेडसमैन मेट/ ई एम ई असैनिक (सी-2)/455/आर आर/र. (नि.) /2019]

ए. एन. वेन्कटाचला, अवर सचिव

टिप्पण :- रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक और यांत्रिक इंजीनियर कोर (औद्योगिक) ट्रेडसमैन मेट भर्ती नियम, 2011 के भारत के राजपत्र, भाग- II, खण्ड-4 में अधिसूचना संख्यांक का.नि. आ. 72, तारीख 23 नवम्बर, 2011, द्वारा प्रकाशित किए गये थे।

New Delhi, the 13th December, 2019

S.R.O. 108.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Corps of Electronics and Mechanical Engineers (Industrial) Tradesmen Mate Recruitment Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Corps of Electronics and Mechanical Engineers (Industrial) Tradesmen Mate Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For Rule 2 of Ministry of Defence, Corps of Electronics and Mechanical Engineers, (Industrial) Tradesman Mate Recruitment Rules, 2011, the following rule shall be substituted, namely:-

(A) " for rule 2, Number of posts, classification, level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules".

(B) in the Schedule, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix
(4)
Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900)".

[F. No. 89228/RR/Tradesmen Mate /EME Civ (C-2)/455/RR/D(A)/2019]

A.N. VENKATACHALA, Under Secy.

Note : The Ministry of Defence, Corps of Electronics and Mechanicals Engineers (Industrial) Tradesmen Mate Recruitment Rules, 2011 were published in the Gazette of India, Part-II, Section 4, vide notification number S.R.O. 72, dated the 23rd November, 2011.

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

का.नि.आ.109.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1978, जहां तक उनका संबंध (i) दर्जी, (ii) बूट बनाने वाला, (iii) रसोईया (iv) नाई और (v) धोबी के पदों से संबंधित है को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा समूह (ग) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा, 'समूह 'ग' कर्मचारी' बृंद (i) दर्जी, (ii) बूट बनाने वाला, (iii) रसोईया (iv) नाई और (v) धोबी पद 'भर्ती नियम 2019' है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** .— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान वें होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** .— वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने कि शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार कि यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैं, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों कि बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणो, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पीछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) दर्जी	03* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु. 18000-56900)	लागू नहीं होगा	18 से 25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं।) **टिप्पण (i) :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं ।) **टिप्पण (ii) :**	**आवश्यक :** (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण । (ii) किसी ख्यातिप्राप्त स्थापन में दर्जी के रूप मै 3 वर्ष का अनुभव । **वांछनीय**: किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दर्जी के व्यावसाय में प्रमाण पत्र । **टिप्पण:-** अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समूदायो के

					रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया हैं।	अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	स्थानांतरण द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरुप पदों के धारक ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा और जो स्तम्भ (7) में विहित अर्हताएं रखते हों।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कमांडेंट/एकक में उप कमांडेंट या कमान अधिकारी/एकक में द्वितीय कमान अधिकारी - अध्यक्ष 2. दो अन्य अधिकारी जो कमांडेंट / एकक में कमान अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट हो – सदस्य	लागू नही होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(2) बूट बनाने वाला	02* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु. 18000-56900)	लागू नहीं होगा	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं।) **टिप्पण (i) :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण (ii) व्यावसाय में प्रवीणता

					अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं ।) **टिप्पण (ii) :** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आनेवाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया हैं ।	

(8)	(9)	(10)
लागू नही होता	दो वर्ष	स्थानांतरण द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)
रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरुप पदों के धारक ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा और जो स्तम्भ (7) में विहित अर्हताएं रखते हों ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कमांडेंट/एकक में उप कमांडेंट या कमान अधिकारी/एकक में द्वितीय कमान अधिकारी - अध्यक्ष 2. दो अन्य अधिकारी जो कमांडेंट / एकक में कमान अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट हो – सदस्य	लागू नही होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(3) रसोईया	26* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु. 18000-56900)	लागू नही होगा	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं।) **टिप्पण (i) :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न की वह अंतिम	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण । (ii) व्यावसाय में प्रवीणता ।

					तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।) **टिप्पण (ii) :** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया हैं।	

(8)	(9)	(10)
लागू नही होता	दो वर्ष	स्थानांतरण द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)
रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरुप पदों के धारक ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा और जो स्तम्भ (7) में विहित अर्हताएं रखते हों।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कमांडेंट/एकक में उप कमांडेंट या कमान अधिकारी/एकक में द्वितीय कमान अधिकारी - अध्यक्ष 2. दो अन्य अधिकारी जो कमांडेंट / एकक में कमान अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट हो – सदस्य	लागू नही होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(4) नाई	11* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रू 18000-56900)	लागू नही होगा	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं।) **टिप्पण (i) :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर,	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण। (ii) व्यावसाय में प्रवीणता।

					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।) **टिप्पण (ii) :** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया हैं।	

(8)	(9)	(10)
लागू नही होता	दो वर्ष	स्थानांतरण द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)
रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरुप पदों के धारक ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा और जो स्तम्भ (7) में विहित अर्हताएं रखते हों

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कमांडेंट/एकक में उप कमांडेंट या कमान अधिकारी/एकक में द्वितीय कमान अधिकारी - अध्यक्ष 2. दो अन्य अधिकारी जो कमांडेंट / एकक में कमान अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट हो – सदस्य	लागू नही होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(5) धोबी	19* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु. 18000-56900)	लागू नही होगा	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं।) **टिप्पण (i) :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण। (ii) व्यावसाय में प्रवीणता।

					पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।) **टिप्पण (ii) :** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया हैं।	

(8)	(9)	(10)
लागू नही होता	दो वर्ष	स्थानांतरण द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)
रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समरुप पदों के धारक ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा और जो स्तम्भ (7) में विहित अर्हताएं रखते हों

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कमांडेंट/एकक में उप कमांडेंट या कमान अधिकारी/एकक में द्वितीय कमान अधिकारी - अध्यक्ष 2. दो अन्य अधिकारी जो कमांडेंट / एकक में कमान अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट हो – सदस्य	लागू नही होता

[फा.सं.11375/आर आर/स. ('ग') स्टाफ/डी जी ए एफ एम एस/डी जी-2बी/464(आर.आर./र.(नियु)/2019]

एस. एस. एस. शर्मा, निदेशक (स्था./सी पी)

New Delhi, the 12th December, 2019

S.R.O. 109.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Director General Armed Forces Medical Services (Group 'D' posts) , Recruitment Rules, 1978 in so far as they relate to the posts of (i) Tailor, (ii) Bootmaker, (iii) Cook, (iv) Barber and (v) Washerman/Dhobi except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'C' posts under Director General Armed Forces Medical Services, Ministry of Defence, namely: -

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Director General Armed Forces Medical Services (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.—** The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.—** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.—** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Posts	Number of Post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) Tailor	3* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level -1 in the pay matrix (Rs 18000-56900)	Not Applicable	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable for the Government Servants upto forty years in case of general candidates and upto forty-five years in case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:-** (i) The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahual & Spity district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. (ii) In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be

				made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential: (i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board. (ii) 3 years' experience as Tailor in a reputed establishment. **Desirable:** A certificate from a recognized Industrial Training Institute in the trade of Tailor. **Note:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years	By transfer failing which by direct recruitment	Transfer of persons holding similar posts in lower formations of Defence Services and having qualifications prescribed in Column (7)

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1). Commandant/Deputy Commandant Unit or Commanding Officer/2nd-in- Command Unit - Chairman (2). Two other Officers as nominated by the Commandant/ Commanding Officer Unit - Members	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) Bootmaker	2* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level -1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900)	Not Applicable	Between 18 and 25 years of age. ((Relaxable for the Government Servants upto forty years in case of general candidates and upto forty- five years in case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:-** (i) The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahual & Spity district and Pangi sub-division of Chamba district of

					Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. (ii) In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board. (ii) Proficiency in the trade	Not applicable	Two years	By transfer failing which by direct recruitment	Transfer of persons holding similar posts in lower formations of Defence Services and having qualifications prescribed in Column (7)

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1). Commandant/Deputy Commandant Unit or Commanding Officer/2nd-in- Command Unit - Chairman (2). Two other Officers as nominated by the Commandant/ Commanding Officer Unit - Members	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(3) Cook	26* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level –1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).	Not Applicable	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable for the Government Servants upto forty years in case of general candidates and upto forty-five years in case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:-** (i) The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahual & Spity district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. (ii) In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board . (ii) Proficiency in the trade	Not applicable	Two years	By transfer failing which by direct recruitment	Transfers of persons holding similar posts in lower formations of Defence Services and having qualifications prescribed in

				Column (7)

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : (1). Commandant/Deputy Commandant Unit or Commanding Officer/ 2nd-in- Command Unit - Chairman (2). Two other Officers as nominated by the Commandant/ Commanding Officer Unit - Members	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(4) Barber	11* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level -1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900)	Not Applicable	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable for the Government Servants upto forty years in case of general candidates and upto forty- five years in case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:-** (i) The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahual & Spity district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. (ii) In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board . (ii) Proficiency in the trade.	Not applicable	Two years	By transfer failing which by direct recruitment	Transfers of persons holding similar posts in lower formations of Defence Services and having qualifications prescribed in Column (7).

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : (1) Commandant/Deputy Commandant Unit or Commanding Officer/2nd-in- Command Unit - Chairman (2). Two other Officers as nominated by the Commandant/ Commanding Officer Unit - Members	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(5) Washerman/ Dhobi	19* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level –1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900)	Not Applicable	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable for the Government Servants upto forty years in case of general candidates and upto forty-five years in case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:-** (i) The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahual & Spity district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. (ii) In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board. (ii) Proficiency in the trade	Not applicable	Two years	By transfer failing which by direct recruitment	Transfers of persons holding similar posts in lower formations of Defence Services and having qualifications prescribed in Column (7)

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : (1). Commandant/Deputy Commandant Unit or Commanding Officer/2nd-in- Command Unit - Chairman; (2). Two other Officers as nominated by the Commandant/ Commanding Officer Unit - Members.	Not applicable.

[F. No. 11375/RR/Gp 'C' Staff/DGAFMS/DG-2B/464/RR/D(Appts)/2019]
S.S.S. SARMA, Director (Estt/CP)

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2019

का.नि.आ.110.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन रक्षा मंत्रालय, कैंटीन काडर (समूह 'ग' एवं समूह 'घ') पद भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में कैंटीन संवर्ग (समूह 'ग' व समूह 'घ') पदों की, भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, कैंटीन काडर (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.—** ये नियम इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा एवं अन्य अर्हताएं.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति.-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:-

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—**अगर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर एवं वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक प्रबंधक सह-भंडारी	16* (2019) *(कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग') अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4 (25500-81100रु.)	अचयन	18 से 25 वर्ष, (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष की आयु (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के लिए 45 वर्ष की आयु) तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण 1**: यदि पद का विज्ञापन रोजगार समाचार और समाचार पत्रों में किया गया हो, तो ऐसे मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन केन्द्र से नाम भेजने के लिए कहा गया है। **टिप्पण 2**: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख

					वह अंतिम तारीख होगी जिस तक आवेदन मंगवाए गए है।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत होने वालों के मामलों में भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्यः (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी कॉम या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से पुस्तक अनुरक्षण या भंडार अनुरक्षण में डिप्लोमा के साथ किसी भी विषय में स्नातक। (ख) अनुभव – किसी सरकारी विभाग/उपक्रम में भंडार/लेखा में कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियो की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबधी अर्हताएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अुनसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उसके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (i) 25% क्लर्क प्रोन्नति द्वारा (ii) 75% हलवाई-सह-कुक से प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना बताएं।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<u>प्रोन्नति:</u> (i) वेतन मैट्रिक्स (19900-63200रु.) में स्तर-2 में कम से कम 8 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले क्लर्क। (ii) वेतन मैट्रिक्स (21700-69100रु.) मे स्तर-3 के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले हलवाई-सह-कुक। - भंडार अथवा लेखा कार्य में दो वर्ष के अनुभव के साथ सीधी भर्ती होने वाले क्लर्कों के लिए यथा निर्धारित योग्यता अर्थात् वाणिज्य	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होगे:-** 1. विभागीय प्रोन्नति समिति में भाग लेने वाली रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की किसी एक प्रयोगशाला या स्थापना का निदेशक या प्रधान -अध्यक्ष 2. विभागीय प्रोन्नति समिति में भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं या स्थापनाओं के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी-I अथवा वैज्ञानिक 'बी' -सदस्य 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-I अथवा वैज्ञानिक 'सी' जो	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

में 12वीं उत्तीर्ण की शैक्षणिक अर्हता। **टिप्पण 1:** "जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।" **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी- **(क)** (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; अथवा (ii) जिन्होनें वेतन मैट्रिक्स (19900-63200रू.) में स्तर-2 में कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। (iii) स्तंभ-7 के अधीन सीधी भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता रखते हो **(ख)** सरकारी विभाग या उपक्रम में भंडार या लेखा कार्य में तीन वर्ष का अनुभव रखते हो। **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्दीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधी है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होगे।	विभागीय प्रोन्नति समिति के किसी घटक स्थापना या प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है -सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. लिपिक	15* (2019)	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग')	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-	अचयन	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी

	*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	63200रु)		कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक छूट)। **टिप्पण 1:** आयु सीमा निर्धारित करने की अंतिम तिथि वह नियत तिथि होगी जो रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के कार्मिक प्रतिभा एवं प्रबंधन केन्द्र द्वारा नाम भेजने की अंतिम तिथि है । यदि पद का विज्ञापन रोजगार समाचार या समाचार पत्र में दिया गया है। **टिप्पण 2:** आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि आयु सीमा निर्धारण की अंतिम तिथि होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हता : **(क)** मान्यता प्राप्त बोर्ड से वाणिज्य विषय सहित 12वीं कक्षा पास। **(ख)** कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंगण गति । (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रैशन के औसत पर 10500 की डिप्रैशन प्रति घंटा या 9000 की डिप्रैशन प्रति घंटा के अनुरूप 35 और 30 शब्द प्रतिमिनट)।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । प्रोन्नत होने वाले व्यक्तियों के लिए नहीं।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1(18000-56900 रु) में के ऐसे समूह 'ग' बहुकार्य कर्मचारी वृन्द (एमटीएस) की विभागीय परीक्षा द्वारा प्रोन्नत, जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो। और सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता या समतुल्य अर्हता रखाता है **टिप्पण 1:** परीक्षा की पात्रता हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है । (अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष।) **टिप्पण 2:** यदि परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक कर्मचारियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, कर्मचारियों की इस बढ़ी संख्या को आने वाले वर्षों में पैदा होने वाली रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा ताकि पहले परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति अथवा अभिपुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगेः-** 1. संबंधित स्थापना अथवा प्रयोगशाला का प्रधान - अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापना अथवा प्रयोगशाला से दो वरिष्ठ अधिकारी - सदस्य 3. अन्य प्रयोगशाला या स्थापना या मुख्यालय से एक अधिकारी - सदस्य	लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना अनिवार्य नहीं है।

पर बाद में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जाएगा। लिपिक पद पर प्रोन्नत किए गए बहुकार्य कर्मचारि वृन्द (एमटीएस) के लिए सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान से या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य संस्थान से संगठनात्मक व्यवहार, सम्प्रेषण कौशल तथा लेखा व्यवहार पर दो सप्ताह की प्रशिक्षण वांछनीय होगी। **टिप्पण 3 :** "जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरा कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक सेवा या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।"		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. हलवाई-सह- रसोइया	60* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग') अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रु.)	अचयन	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के मामले मे 45 वर्ष की उम्र तक शिथिल। **टिप्पण 1:** पद के रोजगार समाचार या समाचार पत्र में विज्ञापित पद की स्थिति में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए अन्तिम तिथि कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन केन्द्र तथा रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के प्रबंधन के द्वारा नाम देने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तिथि होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केटरिंग में प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा सहित 10वीं पास। (ख) अनुभव-सरकारी विभाग अथवा उपक्रम में 02 वर्षों के अनुभव को वरीयता। (ग) अभ्यर्थी की उपयुक्तता के मूल्यांकन हेतु रसोई के लिए एक ट्रेड कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। **टिप्पण:** अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन की किसी भी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी की राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से अनुभव संबंधी अर्हता में छूट दे सकता है साथ ही कारणों को लिखित में लेखबद्ध किया जाए।	लागू नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स स्तर-2 (19900-63200 रू) में ऐसे सहायक हलवाई-सह-कुक जिन्होंने कम से कम तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** "जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होनें ऐसी अर्हक सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।" **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी; (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (19000-63900 रु.) स्तर-2 में सहायक हलवाई-सह-कुक जिन्होंने कम से कम तीन	**समूह 'ग' प्रोन्नति पर विचार के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति** **जिसमें शामिल हैं:-** 1. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला का प्रधान - अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो वरिष्ठ अधिकारी - सदस्य 3. अन्य प्रयोगशाला या स्थापना या मुख्यालय से एक अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

वर्षों की नियमित सेवा की हो। (iii) अर्हताएं और अनुभव का होना : (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से केटरिंग में प्रमाणपत्र या डिप्लोमा सहित 10वीं पास। (ख) सरकारी विभाग अथवा उपक्रम में दो वर्षों के अनुभव को वरीयता। **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष है। **टिप्पण 3 :** पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार हेतु पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्तियां कॉलम 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव हो । जहां भर्ती के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया नहीं है और पद को केवल प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति द्वारा ही भरा जाता है, प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए भर्ती नियमों में शैक्षणिक अर्हताओं और अनुभव को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा ।)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक हलवाई-सह-रसोईया	73* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)	अचयन	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के मामले मे 45 वर्ष की उम्र तक शिथिल) **टिप्पण 1 :** पद के रोजगार समाचार अथवा समाचार पत्र में विज्ञापित किए जाने की स्थिति में आयु सीमा अवधारित करने के लिए अंतिम तिथि कार्मिक प्रतिभा केन्द्र एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रबंधन द्वारा नाम देने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । **टिप्पण 2 :** आयु सीमा अवधारित करने

					के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
(क) कैटरिंग में सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास। (ख) अनुभव-एक वर्ष (ग) अभ्यर्थी की उपयुक्तता को जांचने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा सफाई आदि के रखरखाव सहित हेड कौशल के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। **टिप्पण:** अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन की किसी भी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी की राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से अनुभव संबंधी अर्हता में छूट दे सकता है साथ ही कारणों को लिखित में लेखबद्ध किया जाए।	लागू नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष प्रोन्नति के लिए शून्य	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु) स्तर-1 में ऐसे बहुकार्य कर्मचारी वृन्द (एमटीएस), जिन्होंने इस ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सीधी भर्ती अथवा के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त या समतुल्य अर्हता की हो, की समूह 'ग' में विभागीय परीक्षा द्वारा प्रोन्नति की जाएगी। **टिप्पण 1 :** परीक्षा की पात्रता हेतु अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष है । (अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष) **टिप्पण 2 :** यदि परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक कर्मचारियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, कर्मचारियों की इस बढ़ी संख्या को आने वाले वर्षों में पैदा होने वाली रिक्तियों के लिए विचार जाएगा ताकि पहले परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों पर बाद में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जाएगा। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्र सरकार के ऐसे अधिकारी; (क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पदों को धारण किए हुए है; (ii) स्तर-I (18000-56900) में बहुकार्य कर्मचारी वृन्द जिन्होने कम से कम तीन साल की	**<u>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रतिपुष्टि के लिए)</u>** 1. संबंधित स्थापना अथवा प्रयोगशाला के प्रमुख - अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापना अथवा प्रयोगशाला के दो वरिष्ठ अधिकारी - सदस्य 3. किसी अन्य प्रयोगशाला अथवा स्थापना अथवा मुख्यालय के कोई अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

नियमित सेवा के साथ हलवाई-सह-कुक के सहायक के रूप में एक साल का अनुभव। (iii) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान द्वारा केटरिंग में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा। **टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया 3 वर्ष है। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** : पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए विचार हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति हेतु कॉलम 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव के समान ही अर्हता एवं अनुभव रखते हो। जहां भर्ती के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया नहीं है और पद को केवल प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा ही भरा जाता है, प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए भर्ती नियमों में शैक्षणिक अर्हताओं और अनुभव को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा।)		

[फा.सं.डीएचआरडी/76240/आरआरएस्/कैंटीन/सी/पी/02/1849/डी (अनु. एवं वि.)/2019]

हर्षा रानी, अवर सचिव

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 4th December, 2019

S.R.O.110.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Canteen Cadre (Group 'C' and Group 'D') posts Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the Canteen Cadre (Group 'C' and Group 'D') posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Canteen Cadre (Group 'C') Posts Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification, level in pay matrix.—** The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment age-limit and other qualifications.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualifications.—**No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether Selection post or non-selection post	Age-Limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Manager –cum-Store Keeper	16* (2019) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Non-selection	18 to 25 years, relaxable for Government servants upto the age of forty years(upto forty five years in respect of SC/ST, Government Servants) in accordance with the orders issued by the Central Government. **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Centre for Personnel Talent and Management is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News and Newspaper . Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be last date upto which applications have been called for.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)

Essential: (a) B.Com from a recognised university. or Graduate in any discipline from a recognised university with one year Diploma in Book Keeping or Store Keeping by recognised board or university. (b) Experience – Three years in a Government Department or Undertaking in handling Stores or Accounts. **Note 1**: The Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits nil for promotees	Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment. (i) Twenty-five per cent by promotion from Clerk. (ii) Seventy-five per cent by promotion from Halwai-cum-Cook.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Clerks with atleast eight years regular service in level-2 in the pay matrix (Rs.19900- 63200). (ii) Halwai-cum-Cook level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) with five years regular service in the grade. - with two years experience in handling Stores or Accounts and possessing educational qualifications as prescribed for direct recruited Clerk i.e. 12th Pass with Commerce. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have	**Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of :-** 1. Director or Head of one of the Defence Research and Development Organisation Laboratories or Establishments participating in the Departmental Promotion Committee. - Chairman; 2. Senior Administrative Officer-II or Scientist 'B' from the participating Laboratories or Establishments in the Departmental Promotion Committee.- Member; 3. Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratory of the Departmental Promotion Committee Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service''. **Deputation:** Officers of the Central Government – (a) (i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) with atleast eight years regular service in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200). (iii) Possessing educational qualification as prescribed for direct recruit under column 7 and (b) Three years experience in a Government Department or Undertaking in handling Stores or Accounts. **Note 1 :** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for deputation is fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** The Departmental Official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The deputationists should possess the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Where direct recruitment is not a method of recruitment and the post is to be filled by promotion or deputation only, the educational qualifications and experience should be specifically incorporated for deputationsists in the recruitment rules).		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Clerk	15* 2019 * Subject to variation dependent on	General Central Service (Group 'C',) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix. (Rs.19900-63200) .	Non-selection.	18 to 25 years relaxable for Government servants upto forty years(upto forty five years in respect of SC/ST, Government Servant) in accordance with the orders issued by the Central Government).

	workload.				**Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Centre for Personnel Talent and Management of Defence Research and Development Organisation is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspaper. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualification: (a) 12th Class Pass with Commerce by recognised board. (b) A typing speed of thirty-five word per minute in English or thirty word per minute in Hindi on computer. (thirty-five word per minute and thirty word per minute correspond to 10500 Key Depression Per Hour per 9000 Key Depression Per Hour on an average of five key depressions for each word). **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate otherwise well qualified. **Note 2:** he Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits, nil for promotees	Promotion failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)

Promotion: Promotion through Departmental examination from Group 'C' Multi Tasking Staff (MTS) in level -1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) having atleast three years years regular service in the grade and possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment or equivalent qualification. **Note 1:** The maximum age-limit for eligibility for examination is forty-five years (fifty years of age for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes). **Note 2:** If more of such employees than the number of vacancies available are qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. Two week training on Organisational Behaviour, Communication Skill and Accounting Practices shall be desirable for the Multi Tasking Staff for promotion to the post of Clerk from Institute Secretariat Training Management or any other institute recognised by Government of India or State Government. **Note 1 :** "Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service''.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of:-** 1. Head of the concerned Establishment or Laboratory. —Chairman; 2. Two Senior Officers of the concerned Establishment or Laboratory. —Members; 3. An Officer from another Laboratory or Establishment or Headquarters. —Members.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.Halwai-cum- Cook.	60* (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service(Group 'C') Non-Gazetted, Non-Ministerial	level -3 in the pay matrix (Rs.21700-69100).	Non-selection.	18 to 25 years. relaxable for Government Servants upto forty years(upto forty five years in respect of SC/ST, Government Servants) in accordance with the orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Centre for Personnel Talent and Management of Defence

					Research and Development Organisation is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspaper. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) 10^{th} Class Pass by recognised universities with a certificate or diploma in catering. (b) Experience - Two year in Government Department or undertaking preferred. (c) A trade skill test for cooking shall be conducted to assess suitability of the candidate. **Note:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Schedules Castes, the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Halwai-cum-Cook with atleast three years regular service in level-2 in the pay matrix. (Rs.19900-63200). **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service''. **Deputation:**	**Group 'C' Departmental Promotion Committee for promotion consisting of :-** 1. Head of the concerned Establishment or Laboratory. **-- Chairman;** 2. Two Senior Officers of the concerned Establishment or Laboratory. —**Member;** 3. An Officer from another Laboratory or Establishment or Headquarters. **— Member.**	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Officers of the Central Government; (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) assistant Halwai-cum-Cook with atleast three years regular service in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200). (iii) possessing the qualifications and experience**:** (a) 10^{th} class pass by recognised board with a certificate or diploma in catering. (b) Experience – Two years in a Government Department or Undertaking preferred. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for deputation is fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** The Departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The deputationists should possess the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. Where direct recruitment is not a method of recruitment and the post is to be filled by promotion or deputation only, the educational qualifications and experience should be specifically incorporated for deputationsists in the recruitment rules).		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Assistant Halwai-cum-Cook.	73* (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non - Gazetted Non-Ministerial.	level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Non-selection.	Between 18 to 25 years. relaxable for Government Servants upto forty years (upto forty five years in respect of SC/ST Government Servants) in accordance with the orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for

					determining the age-limit shall be the last date upto which the Centre for Personnel Talent and Management of Defence Research and Development Organisation is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspaper **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) 10th Class Pass by recognised board with a certificate or diploma in catering. (b) Experience - one year. (c) A trade skill test for cooking including maintenance of hygiene etc. shall be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the suitability of the candidate. Note: The qualifications experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits, NIL for promotees.	Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Promotion through limited Departmental Examination (LDCE) from Multi Tasking Staff(MTS) Group 'C' employees in level-1 in the pay matrix (Rs.18000- 56900) with atleast three years regular service in the grade and possessing the educational and other qualification prescribed for direct recruitment or equivalent qualification. **Note 1:** The maximum age-limit for eligibility for examination is forty-five years (fifty years of age for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes). **Note 2:** If more of such employees than the number of vacancies available are qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Head of the concerned Establishment or Laboratory —**Chairman;** 2. Two Senior Officers of the concerned Establishment or Laboratory. —**Member;** 3. An Officer from another Laboratory or Establishment or Headquarters. ------**- Member.**	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. Deputation: Officers of the Central Government; (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) Multi Tasking Staff in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) with atleast three years regular service having one year experience as helper to Halwai- cum- Cook; (iii) Possessing Certificate or diploma in catering by recognised board or institution. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2 :** The maximum age-limit for deputation is fifty- six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** The Departmental Official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The deputationists should possess the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. Where direct recruitment is not a method of recruitment and the post is to be filled by promotion or deputation only, the educational qualifications and experience should be specifically incorporated for deputationists in the recruitment rules).		

[F. No. DHRD/76240/RRs/Canteen/C/P/02/1849 /D(R&D)/2019]

HARSHA RANI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.01.08 12:18:58 +05'30'